

बरेली जोन के अन्तर्गत बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मुसदाबाद, चन्दौसी, रामपुर एवं बिजनौर की सम्पत्तियों का आबंटन/नीलामी

आबंटन/नीलामी दिनांक 30.11.2012 समय प्रातः 11:00 बजे

स्थल: सहायक आवास आयुक्त (बरेली जोन) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 122, सिविल लाइन्स, बरेली

लाटरी ड्रा द्वारा आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार एवं सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)/ प्र.व.मी.(फ्री-होल्ड शुल्क सहित)	बयाना धनराशि (रु० लाख में)
--	----------------------	--	----------------------------

बैम्बे योजना, सी.बी. गंज, बरेली

बैम्बे भवन (01 नग) (निरस्तीकरण से प्राप्त)	25.00	0.20	0.05
--	-------	------	------

मड़ोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद

40 से 50 व.मी. तक (आर 1-ए 1) (710 नग)	40 से 50	9744.00 प्र.व.मी.	0.25
51 से 80 व.मी. तक (आर 1-ए 2) (32 नग)	51 से 80	9744.00 प्र.व.मी.	0.39

बैम्बे योजना, रामपुर

बैम्बे भवन-ए-15, 188, 279, 356, बी-104, 131, 161, 198 (08 नग) (डूडा, रामपुर द्वारा चयनित लाभार्थियों के मध्य आवंटन किया जायेगा)	25.01	20000/- प्रति भवन	0.05
---	-------	-------------------	------

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

मड़ोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद

आवासीय भूखण्ड (81 से 170 वर्गमी० तक) (आर 1-बी)

एस.सी.-9बी/489 (01 नग), अनारक्षित-9बी/418, 81से 170	9744.00 प्र.व.मी.	0.83
---	-------------------	------

जिगर विहार योजना, मुरादाबाद

उ.आ.वर्ग भवन एफ0ए-87 (01 नग)	20.94	5.82	0.30
म.आ.वर्ग भवन एफ0ए-265 (01 नग)	14.81	4.35	0.25
म.आ.वर्ग भवन एफ0ए-271 (01 नग)	16.13	4.38	0.25
म.आ.वर्ग भवन एफ0ए-277 (01 नग)	16.16	4.78	0.25
अ.आ.वर्ग भवन एस0ए-227 (01 नग)	16.60	4.43	0.25
अ.आ.वर्ग भवन एस0ए-305 (01 नग)	16.29	4.40	0.25
अ.आ.वर्ग भवन एस0ए-407 (01 नग)	16.29	4.43	0.25

बरेली मोड़ योजना संख्या-03, शाहजहाँपुर

मध्यम आय वर्ग भवन (53/127 प्रकार) 1/2, 1/3 (02 नग)	127.50	14.26	1.43
--	--------	-------	------

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण

राजेन्द्र नगर योजना संख्या-02, बरेली

हाल्लस प्रथम तल-एच-3 (01 नग)	77.55	27.06 प्रति नग	2.71
दुकानें (ई-ब्लाक) 6, 11, 13 (03 नग)	16.00	10.35	1.05
दुकानें (ई-ब्लाक) 12 (01 नग)	39.954	25.83	2.62

बरेली मोड़ योजना संख्या-03, शाहजहाँपुर

व्यवसायिक भूखण्ड

1/कॉम-7 (01 नग)	533.51	10842 प्रति वर्गमी०	5.79
1/कॉम-8, 1/कॉम-9, 1/कॉम-10, 1/कॉम-11 (04 नग)	509.00	9856 प्रति वर्गमी०	5.02
1/कॉम-12 (01 नग)	852.57	10842 प्रति वर्गमी०	9.25
कम्प्युनिटी सेंटर-सी.सी.-5/1 (01 नग)	4352.25	5324 प्रति वर्गमी०	23.18
दुकान भूखण्ड-सी.एस.-5/6 (01 नग)	78.30	9856 प्रति वर्गमी०	0.78

टैगोर नगर योजना, पीलीभीत

दुकानें (14 नग)

एस-2	10.47	4.975	0.50
एस-3	10.36	4.925	0.50
एस-4	10.26	4.875	0.49
एस-5	9.96	4.735	0.48
एस-6	10.82	5.14	0.52
एस-7	10.74	5.105	0.51
एस-8	11.30	5.37	0.54
एस-9	11.62	5.52	0.56
एस-10	10.64	5.055	0.51
एस-11	10.64	5.055	0.51
एस-12	11.25	5.345	0.54
एस-14, एस-15	10.64	5.055	0.51
एस-16	11.62	5.52	0.56

नोट : मड़ोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद में विभिन्न श्रेणी के दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग के दिनांक 25.09.2012 से 25.10.2012 तक खोले गये भवनों हेतु पंजीकरण में पात्र आवेदकों के मध्य पात्रता चयन भी किया जायेगा।

आबंटन हेतु आवेदन पत्र का प्राप्ति

- योजना/शहर का नाम.....
- भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल.....
- आवेदक का नाम.....
- पिता/पति का नाम.....
- पत्र व्यवहार का पता.....
- स्थायी पता.....
- दूरभाष/मोबाइल नम्बर.....
- ई-मेल आईडी.....
- आरक्षण श्रेणी.....
- राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें.....
- संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट संख्या.....
- दिनांक.....
- निर्गतकर्ता बैंक का नाम.....
- धनराशि.....
- मुगतान का विकल्प.....
- आवेदक के हस्ताक्षर.....
- लिथि.....
- स्थान.....

सील विड का प्राप्ति

- योजना/शहर का नाम.....
- सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल.....
- आरक्षित मूल्य.....
- ऑफर मूल्य/दर.....
- जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं.....
- टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु०.....
- बैंक ड्राफ्ट संख्या.....
- दिनांक.....
- नाम.....
- पिता/पति का नाम.....
- आरक्षण.....
- यदि है, तो कोई राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न.....
- पत्र व्यवहार का पता.....
- दूरभाष/मोबाइल नं०.....
- ई-मेल आईडी.....
- हस्ताक्षर.....
- दिनांक.....
- स्थल.....
- नाम-पिता का नाम-संस्था/फर्म/कम्पनी का नाम.....
- पूरा पता.....

घोषणा का प्राप्ति (आवेदन एवं सील विड एवं दोनों के साथ आवश्यक)

- भेजे स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ. "जैसी है, जहाँ है" के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ।
- मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयव बच्चों के नाम संघटित..... शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं हैं।
- मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयव बच्चों की वर्ष 2009-10 की रामरत रत्रांतों से आय रु०... से अधिक नहीं थी।

तिथि..... स्थान..... आवेदक के हस्ताक्षर.....

भवन/भूखण्डों का प्रकार एवं सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)/ प्र.व.मी.(फ्री-होल्ड शुल्क सहित)	बयाना धनराशि (रु० लाख में)
--	----------------------	--	----------------------------

जिगर विहार योजना, मुरादाबाद

कम्प्युनिटी सेंटर भूखण्ड

कम्प्युनिटी सेंटर (लीज पर) (01 नग)	928.00	11000.00 प्र०व०मी०	10.21
------------------------------------	--------	--------------------	-------

बौद्ध विहार योजना, मुरादाबाद

व्यावसायिक भूखण्ड

4ए-कॉम-सी.पी.-01 (कार्नर) (01 नग)	421.54	22176.00 प्र०व०मी०	9.35
-----------------------------------	--------	--------------------	------

मड़ोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद

कम्प्युनिटी सेंटर 6ए/01 (लीज पर) (01 नग)	4613.13	9570.00 प्र०व०मी०	44.15
--	---------	-------------------	-------

व्यावसायिक भूखण्ड

6ए/01 (कार्नर) (01 नग)	640.00	21437.00 प्र०व०मी०	13.72
सी.पी. 7सी/1बी (01 नग)	2388.83	19488.00 प्र०व०मी०	46.56
6ए/02, 05 (02 नग)	480.00	19488.00 प्र०व०मी०	9.35
सी.पी. 7सी/1ए (कार्नर) (01 नग)	2236.15	21437.00 प्र०व०मी०	47.94
6ए/03, 04, 06 (03 नग)	480.00	19488.00 प्र०व०मी०	9.36
सी.पी. 7सी/1सी (कार्नर) (01 नग)	2337.00	21437.00 प्र०व०मी०	50.10

व्यावसायिक भूखण्ड

7बी/1ए (कार्नर) (01 नग)	2082.01	21437.00 प्र०व०मी०	44.63
7बी/1बी (01 नग)	2354.55	19488.00 प्र०व०मी०	45.89
7बी/1सी (कार्नर) (01 नग)	2139.22	21437.00 प्र०व०मी०	45.86
7डी/01 (कार्नर) (01 नग)	3268.00	21437.00 प्र०व०मी०	70.06

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड

5/जीएच-1 (कार्नर) (01 नग)	5037.00	16078.00 प्र०व०मी०	80.98
5/जीएच-2 (01 नग)	4432.00	16078.00 प्र०व०मी०	71.26
5/जीएच-3 (कार्नर) (01 नग)	7050.00	16078.00 प्र०व०मी०	113.14
7/ई-1 (01 नग)	10850.00	14616.00 प्र०व०मी०	158.59
7/ई-2 (कार्नर) (01 नग)	9680.00	16078.00 प्र०व०मी०	155.64
7/ई-3 (कार्नर) (01 नग)	5031.00	16078.00 प्र०व०मी०	80.89
7/ई-4 (01 नग)	8424.00	14616.00 प्र०व०मी०	123.13

लाजपत नगर योजना, मुरादाबाद

दुकानें

एस-71 (01 नग)	17.49	6.84	0.69
एस-72, 73 (02 नग)	16.89	6.61	0.67
एस-81, 82, 83, 84 (04 नग)	16.52	5.93	0.60
एस.एफ.-71 (01 नग)	16.07	7.38	0.74
एस.एफ.-60 (01 नग)	13.38	6.14	0.62
एस.एफ.-62, 88, 89 (03 नग)	7.73	3.55	0.40
एस.एफ.-75 (01 नग)	4.00	1.84	0.19
एस.एफ.-81 (01 नग)	3.99	1.84	0.19
एस.एफ.-82, 85 (02 नग)	3.77	1.73	0.18
एस.एफ.-64 (01 नग)	3.74	1.72	0.18

सम्भल गेट योजना संख्या-1, चन्दौसी

कम्प्युनिटी सेंटर भूखण्ड

कम्प्युनिटी सेंटर (लीज पर) (01 नग)	1371.77	6413.00 प्र०व०मी०	8.80
------------------------------------	---------	-------------------	------

दुकानें

एस-10, 11, 12, 13, 14, 15 (06 नग)	11.22	7.45	0.75
एस-16 (01 नग)	11.66	7.88	0.79

भागीरथी योजना, बिजनौर

दुकानें

एस-4, 5, 8, 9, 10 (05 नग)	9.61	5.71	0.57
एस-3 (01 नग)	18.18	10.71	1.07

आबंटन के माध्यम से निस्तारित होने वाली सम्पत्तियों पर सम्पत्ति के मूल्य का 05 प्रतिशत तथा नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाले आवासीय भवनों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत तथा अनावासीय यथा ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, दुकानें, कम्प्युनिटी सेंटर आदि ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों एवं अनावासीय सम्पत्तियों के मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के नाम तथा संबंधित नगर पर देय हो, के साथ संलग्न करना है। आबंटन हेतु प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप पर बैंक ड्राफ्ट एवं आवश्यक शपथ पत्र सहित आबंटन की तिथि से दो दिन पूर्व तथा नीलामी हेतु सील विड आबंटन की तिथि से एक दिन पूर्व कार्य अथवा तब सम्पत्ति प्रबन्ध अथवा जोन कार्यालय में दी जा सकती है। बैंक/नकद स्वीकार नहीं होगा। सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उप आवास आयुक्त (बरेली जोन), सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 122, सिविल लाइन्स, बरेली, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, लाजपत नगर योजना, मुरादाबाद, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, 1/6, म०आ०व० बरेली मोड़ योजना सं०-3, शाहजहाँपुर, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, पीलीभीत, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय रामपुर एवं सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय बिजनौर से प्राप्त की जा सकती है।

नोट : आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित सम्पत्ति हेतु आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर अनारक्षित वर्ग के उपलब्ध आवेदकों के मध्य नियमानुसार आबंटन/नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

नियम व शर्तें :- 1. समस्त आवेदनों के साथ विज्ञापन में नीचे अंकित प्रारूप पर घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। 2. आबंटन हेतु आवेदन पत्र एवं नीलामी हेतु सील विड सम्पत्ति शहर/योजना के लिए सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में रु० 100.00 जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। 3. सील विड ऑफर अंकित करते हुये रु० 100.00 के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील विड फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी में एक दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक संबंधित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। 4. आबंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील विड संबंधित शहर/योजना के लिए उल्लिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है-कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 122, सिविल लाइन्स, बरेली (सभी नगरों हेतु) 5. सम्पत्ति संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। 6. आबंटन हेतु निर्धारित आवासीय सम्पत्तियों का आबंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेशन संकेपी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। 7. आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में संबंधित शहर में देय हो, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आबंटन-पत्र एवं सील विड दिनांक 29.11.2012 को साय 5:00 बजे तक उपरोक्त पते पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। 8. अपूर्ण एवं शर्तों आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। 9. सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में जहाँ हैं, जैसी हैं के आधार पर आबंटित की जायेगी। सम्पत्ति की लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर वाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। 10. सम्पत्ति का कच्चा देय भुगतान के बाद ही निधमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख उपरान्त किया जायेगा। 11. आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति का प्राधिकारी होगा तथा आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। 12. एक आवेदक एक से अधिक भूखण्ड/भवन हेतु आवेदन की स्थिति में प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र व पंजीकरण धनराशि जमा करनी होगी। सफलता की स्थिति में एक भवन/भूखण्ड देय होगा एवं शेष आबंटन निरस्त किये जायेगे। 13. आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित सम्पत्ति हेतु आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर सामान्य आवेदकों के मध्य निधमानुसार आबंटन की कार्यवाही की जायेगी। 14. सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट: <http://www.upavp.com> पर Public Notice के अन्तर्गत देखा जा सकता है। 15. समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यापक निधम व शर्तें प्रभावी होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

परिषद से सम्बन्धित समस्या हमको कहे

जनसुविधा केन्द्र
परिषद से समस्या के निराकरण हेतु डायल करें
1800-180-5333 (टोल फ्री) 0522-2236803
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
आई.ए.ए.ओ. 9001-2000 प्रमाणित संस्था
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226 001
Website : <http://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sancharnet.in